(76) (7) (134)

आदेश द्वारा श्री आर. के. शर्मा (भा. व. से.) प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़, रायपुर

// आदेश//

आदेश क्रमांक/सम/08 424 रायपुर/ दिनांक 31/5/2008

क्षेत्रीय कार्यो के बेहत्तर संचालन एवम् वित्तीय नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा लागू प्रक्रिया अनुसार विभाग में बजट प्रबंधन प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करते हुए कॉलम (2) दर्शित बजट मद हेतु कालम (3) दर्शित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /मुख्य वन संरक्षकों को नियंत्रणकर्ता अधिकारी मनोनीत किया जाता है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास/योजना) एवं मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) द्वारा क्रमशः आयोजना एवं आयोजनेत्तर मदो में विभिन्न योजनाओं हेतु उपलब्ध बजट राशि का आबंटन कॉलम 3 में दर्शाये गये शाखा प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को करेंगे। मनोनीत अधिकारी कॉलम 2 में दर्शाई गई योजनाओं का बजट आबंटन सीधे संबंधित वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी को करेंगें तथा बजट अनुमान, अग्रिम बजट अनुमान तथा अंतिम बजट अनुमान एवम् व्यय के आंकडे वन संरक्षकों से प्राप्त कर उन्हें संकलित करते हुये अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) एवम् मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) को प्रेषित करेंगे तथा बजट पर पूर्ण नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व भी उनका होगा।

अनु. क्र	योजना का नाम	शाखा जिनके द्वारा बजट आबंटन एवं नियंत्रण का कार्य किया जावेगा
1	2	3
	<u>आयोजना</u> <u>मांग संख्या 10—2406</u>	
1	(2723) प्रशासन सुदृढ़ीकरण (792) कर्मचारी कल्याण योजना	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/समन्वय)
2	(0701) केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5538 एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
3	(5089) राज्य में वानिकी अनुसंधान	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार)
4	(1859) राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना	निदेशक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान
5	(6025) वन संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उपयोग	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)
	<u>मांग संख्या 41—2406</u>	
6	(6723) संयुक्त वन प्रबंध सुदृढ़ीकरण एवं विकास (6516) ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज/औषधि रोपण (5091) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन)
	<u>मांग संख्या 64—2406</u>	
7	(6723) संयुक्त वन प्रबंध सुदृढ़ीकरण एवं विकास	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन)

छत्तीसगढ़, रायपुर

77
8
135

	आयोजनेत्तर	
1	(3873) वन अपराध का पता लगाने के लिये पुरस्कार (3877) 003 अग्नि बचाव	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
2	(3836) उत्पादन वनमण्डल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी,खैर एवं बांस (1093) खैर – कार्य आयोजना अनुसार खैर वृक्षों के विदोहन एवं डिपो संबंधी समस्त कार्य (203) इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार (535) इमारती लकड़ी–वृक्षों की कटाई, बोंगाई, थप्पीकरण, परिहन, निकासीमार्ग, निर्माण, अस्थाई झोपड़ी निर्माण, डिपो कार्य, भूमि स्वामियों द्वारा निजी वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के विभाग द्वारा क्रय की राशि का भुगतान। (204) बांस का राजकीय व्यापार (2901) बांस– बांस विदोहन, परिवहन एवं डिपों संबंधी समस्त कार्य।	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
3	(4462) वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी)
4	(3531) प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)
5	(4475) सामाजिक वानिकी	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार)
6	(812) कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वनवृत्तों की स्थापना (2786) प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त) (3877) क्षेत्रीय वनमण्डल	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)
7	(813) कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य	मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)

उपरोक्त के अतिरिक्त आयोजना बजट के अंतर्गत शेष सभी योजनाओं का वन संरक्षकों/ वनमण्डलाधिकारियों को बजट आबंटन/नियंत्रण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) तथा आयोजनेत्तर बजट की शेष सभी योजनाओं/मदों से संबंधित बजट आबंटन/ नियंत्रण का कार्य मुख्य वन संरक्षक (...त/बजट) सीधे वन संरक्षकों/ वनमण्डलाधिकारियों को किया जावेगा। मुख्यालय पर विभिन्न शाखाओं द्वारा सचालित की जाने वाली योजनाओं के अंतर्गत क्रय हेतु प्रावधानित राशि से समस्त सामग्री का क्रय समन्वय शाखा से किया जायेगा।

टीपः– जिन आयटमों के कार्यों के लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा दरें स्वीकृत हैं उन आयटमों को छोड़कर (अर्थात् जिन आयटमों के लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा दरें स्वीकृत नहीं है) अन्य सभी आयटमों के बजट मदों में आबंटन संबंधी सभी नस्तीयां प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जावेंगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक 31/05
छत्तीसगढ़, रायपुर

78

(9)

पृ. क्रमांक/सम./08 – 2729 रायपुर/दिनांक 31/5/2008

प्रतिलिपि:–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर दिनांक 05.05.08 को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में हुई चर्चा के परिपेक्ष्य में पालनार्थ अग्रेषित।
3. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एंव वन संरक्षक (कार्य आयोजना), बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

31.05.08

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्रमांक/सम./08 – 2730 रायपुर/दिनांक 31/5/2008

प्रतिलिपि:–

निज सचिव, माननीय वन मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

31.05.08

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर